भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार : कुछ विचार तथा भावी पथ*

राकेश मोहन

यह वास्तव में आनंद का विषय है कि मैं आज भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार (आरबीआईए) जिसे पहले केंद्रीय अभिलेख एवं दस्तावेज केंद्र (सीआरडीसी) के नाम से जाना जाता था, की रजत जयंती के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हूं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना केंद्रीय अभिलेखागार 24 अगस्त 1981 को स्थापित किया था। इसके दो उद्देश्य थे (i) गैर-चालू स्थाई रिकार्डों के भंडारण के लिए तथा (ii) अनुसंधान प्रयोजनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय अभिलेखागार के रूप में कार्य करना। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे कुछ संस्थानों में से एक है जिसके पास 1980 के बाद के दशक में निगमित अभिलेखागार था। आम तौर पर अभिलेखागार में तथा विशेषकर अभिलेख संबंधी पैतृक संपदा में हमारी सक्रिय रुचि का यह मूर्त चिह्न है।

पिछला वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए ऐतिहासिक मील के पत्थरों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। इसके इतिहास का तीसरा खंड जिसमें 1967-1981 तक की अवधि को लिया गया है, हमारे प्रधान मंत्री डा.मनमोहन सिंह, जो हमारे पूर्व गवर्नर भी हैं, द्वारा 18 मार्च 2006 को जारी किया गया। चूंकि रिज़र्व बैंक ने भी अपने अस्तित्व के 70 वर्ष 2005 में पूरे किए हैं, हमारे वार्षिक प्रकाशन 'मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट - 2004-05' में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व के विकास की एक मुख्य विषय के रूप में समीक्षा की गई थी। परंतु इन सभी महत्वपूर्ण पड़ावों के बावजूद, हमें इन अवसरों का उपयोग आगे देखने के लिए भी करना चाहिए। केंद्रीय बैंक के रूप में अपने विकास की समीक्षा करते हुए, हमें आम तौर पर केंद्रीय बैंकों के विकास पर भी ध्यान देने का अवसर मिला। केंद्रीय बैंकों की आम छवि रूढ़िवादी या दक़ियानूसी, नीरस, पुराणपंथी संस्था के रूप में है। अतः यह हमारे लिए आश्चर्य के रूप में पता लगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक भी अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ व्यवहार तथा कार्यों की दृष्टि से काफी उल्लेखनीय रूप से बदलता रहा है जैसे-जैसे आर्थिक स्थितियां और आवश्यकताएं समय के साथ बदलती रही हैं। परिवर्तन की यह प्रक्रिया निरंतर चली है। अतः यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण पर पर्याप्त जोर दें ताकि ये सभी परिवर्तनों का भलीभांति दस्तावेजीकरण किया जा सके और वे भावी इतिहासकारों के लिए व्याख्या के लिए उपलब्ध हों।

अभिलेखागार कोई नई संकल्पना नहीं है। अभिलेखागार जनता की, संगठन की और सामूहिक रूप से विश्व की यादों से बनती है। अभिलेखागार बाह्य यंत्रों के अलग-अलग भागों की तरह हमें एक साथ मिलकर हमारे भाग्य को बनाने में सहायता करते हैं जो इतिहास की समरसता का सृजन करते हैं हमारी पिछली यात्राओं को जो हमारे स्वभाव या प्रकृति और हमारे मूल उद्गम को व्यक्त करते हैं, तथा वे हमारे अतीत की समझ को व्यक्त करते हैं, ताकि हम अपने भविष्य को रोशन कर सकें। यह बताया गया है बहुत पहले 5वीं से 4 थी शताब्दी ईसापूर्व में एथेन्स के लोग देवताओं की माता के मंदिर में जिसे 'मैटून' कहा जाता था, मूल्यवान दस्तावेज़ रखा करते थे। बहुत बड़ी संख्या मे दस्तावेज़ इस मंदिर में रखे गए बताए जाते हैं, जिनमें संधियां, कानून, विधान सभाओं के कार्य विवरण, राजनैतिक-दार्शनिक सुकरात के अपने हाथ से लिखे वक्तव्य, सोफोकल्स और यूरिपाइड्स के नाटक, ओलम्पिक खेलों में विजेताओं और उनकी जिंदगी की सूची शामिल हैं। प्राचीन भारत में अभिलेख बौद्ध मठों में राजाज्ञा या शासनादेश के रूप मे उत्कीर्ण किए जाते थे और रखे जाते थे। प्राचीन अभिलेखागार सामान्यतया वस्तुतः पत्थरों पर उकेरे या ढाले जाते थे। अब हम उन्हें माइक्रो फिल्म में उकेर लेते हैं। हमें आशा है कि ये भी इतने लंबे समय तक रहेंगे जितने लंबे समय तक पत्थर पर उकेरे रिकार्ड रहे हैं। और शायद आज से 2000 वर्ष बाद भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेखागार का मंदिर के रूप में उल्लेख करें।

परंतु अभिलेखागार इतिहास और संस्कृति की पुरानी यादों के बारे में ही नहीं होते हैं, अभिलेखागार सूचना के प्रस्तुतीकरण और उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने तथा उन रिकार्डों को, जो कि किसी काम के नहीं है, व्यवस्थित रूप से नष्ट करने की नीतियां बनाने में अपने संगठनों की तत्काल सहायता के लिए भी होते हैं । अभिलेखागार यह सुनिश्चित करते हैं कि संगठन के पास अपनी कंपनी की यादें हो और केवल उन रिकार्डों को ही सुरक्षित रखें जो प्रबंधन योग्य, पुनः प्राप्त किए जाने योग्य और उपयोग किए जाने योग्य हों। ऐसा करने में अभिलेखागार

* डा.राकेश मोहन, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार के रजत जयंती उद्घाटन समारोह में 29 सितंबर 2006 को दिया गया उद्घाटन भाषण ।

सामूहिक यादों का पोषण करते हुए, जिनके बिना जनता, अनुसंधान छात्र, प्रशासक और संगठन अन्यथा स्मृति लोप के अंधकार में ढूंढ़ते रहेंगे , अपने स्वयं के प्रशासन में दक्षता और लाने में सहायता करते हैं।

ये रिकार्ड ही हैं जो हमें हमारे अतीत के बारे में बताते हैं कि और भविष्य के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। रिकार्डों के बिना, अतीत की गलतियां भविष्य के लिए सीख नहीं बन सकेंगी। नागरिकों के पास अतीत की इतिहास लिखने के लिए कोई स्रोत सामग्री नहीं होगी। वस्तुतः बिना रिकार्डों के लोगों के रूप में निरंतरता की हमारी भावना ही खतरे में पड़ जाएगी। किसी राष्ट्र को तीन चीजों पर विश्वास करना चाहिए, उसे अपने अतीत पर विश्वास करना चाहिए; उसे अपने भविष्य पर विश्वास करना चाहिएः उसे अपने लोगों की अतीत से सीखने की क्षमता पर विश्वास करना चाहिए ताकि वे अपने भविष्य के निर्माण के संबंध में अपना निर्णय ले सकें।

हमारे रिकार्ड व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए तैयार किए जाते हैं, परंतु जैसे-जैसे समय गुजरता जाता है ये रिकार्ड रिज़र्व बैंक के दस्तावेजी पैतृक संपत्ति बनते जाते हैं हमारी यह पैतृक संपत्ति 1935 तक जाती है। हमारे वर्तमान रिकार्डों के साथ तथा उनके साथ जो हमें मिले हैं, हमारे अभिलेखागार में लगभग 35,143 रिकार्ड हमारे पास है। इन रिकार्डों में फाइलें, रजिस्टरें, फोटोग्राफ, प्रेस की कटिंग, प्रकाशन और सीडी शामिल हैं। कुछ महत्वपूर्ण रिकार्डों में भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओसवोर्न स्मिथ के सरजे.बी.टेलर प्रथम उप गवर्नर (1935) को लिखे गए पत्र भी शामिल हैं जिसमें श्री टेलर को प्राधिकृत किया गया है कि उनकी (स्मिथ की) लंदन यात्रा के दौरान वे (श्री टेल्स) केंद्रीय बोर्ड की समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब जब कभी भी कोई नया उप गवर्नर नियुक्त किया जाता है तो केंद्रीय बोर्ड की समिति का यह अनुदेश उसमें रिकार्ड किया जाता है। इसमें एक और पत्र है जो श्री जवाहरलाल नेहरु, भारत के प्रथम प्रधान मंत्री की ओर से श्री सी.डी.देशमुख, रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर को लिखा गया है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे गिरती हुई आर्थिक स्थिति पर एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भेजें और उसके उपचारात्मक उपाय भी सुझाएं। अब हम हरेक तिमाही में तिमाही मौद्रिक नीति संबंधी वक्तव्य के साथ आर्थिक आकलन नियिमत रूप से करते हैं। हम नेमी रूप से प्रधान मंत्री कार्यालय को साप्ताहिक रिपोर्ट भी भेजते हैं। इन रिकार्डों में अन्य रिकार्डों के अलावा बैंकिंग खातों से और चेकों से पाई को हटाने संबंधी अनुदेश (1945) भी हैं। भारतीय रुपए की अवमूल्यन तथा विदेशी मुद्राओं के साथ नई समता दरें (1966); भारत के विभाजन पर भारत और पाकिस्तान के बीच आस्तियों का विभाजन आदि भी शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंकिंग पर अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार के पास भी एक पुस्तकालय है जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा अन्य सहायक संस्थाओं के सभी प्रकाशन उपलब्ध हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभिलेखागार के रखरखाव पर काफी संसाधन लगाने का निर्णय लिया है। अतः उनका प्रयोग विद्यालयों द्वारा वर्तमान की अपेक्षा अधिक नियमित रूप से किया जाना चाहिए। मैं अभिलेखागार के प्रबंधकों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक प्रशासन से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस पर विशेष ध्यान दें कि इन अभिलेखागारों का बेहतर प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। एक विचार यह हो सकता है कि इस प्रयोजन के लिए विद्यार्थियों और शोध छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और फैलोशिप शुरू की जाए।

अब हमें एक नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध है कि नीति संबंधी गतिविधियों में प्रमुख सहभागियों के मौखिक इतिवृत्तों का डिजिटल ओडियो (दृश्य) और वीडियो (श्रव्य) दोनों रूपों में अभिलेख बनाया जा सकता है। अतीत का उपयोग भविष्य की सूचना के लिए करने की आवश्यकता से गहनता से परिचित होने के कारण मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक तथा सरकार दोनों के ऐसे कुछ प्रमुख नीति निर्माताओं के साक्षात्कार द्वारा ऐसी रिकार्डिंग करने की शुरूआत की है जो 1980 और 1990 के बाद के दशकों में इनमें शामिल थे। अब यह परियोजना पूरी हो चुकी है, अतः यह अभिलेखागार का नया स्वरूप होगा जो भावी इतिहासकारों के लिए उपलब्ध होगा।

मैं समझता हूं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार हमारी दस्तावेजी धरोहर का लाभ बांटने, उसको सुरक्षित रखने और उपयोग करने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और मार्गदर्शी दिशानिदेश बनाता और लागू करता रहा है। इस कार्यक्रम के सफल होने के लिए सर्व प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपेक्षा यह होगी कि इसे सुदृढ़ और परिणामोन्मुखी व्यावसायिकता पर आधारित होना चाहिए। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सभी संबंधित व्यक्तियों को अभिलेखागार के संरक्षण के लिए व्यावसायिकता को सुनिश्चत करना चाहिए। अभिलेखागारों की उचित रखरखाव के मुद्दे के तीन पहलू हैं : (i) मूल्यवान रिकार्डों का भौतिक संरक्षण; (ii) उनका उचित संगठन ताकि उन्हें आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सके और उनका अध्ययन किया जा सके; तथा (iii) उनके अनुपयुक्त प्रयोग को रोकना।

वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित अपनी रिकार्ड धारिता का भौतिक संरक्षण करना भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार द्वारा जोर देने का एक प्राथमिक क्षेत्र है। कागजी रिकार्डों के वैज्ञानिक संरक्षण में कुछ नई पहलें भारिबैंक अभिलेखागार द्वारा शुरू की गयी हैं। इनमें शामिल हैं - रिकार्डों का धूम्रीकरण और आम्लीकरण। यदि पेपर पर दाग-धब्बे हैं, तो इसे साफ किया जाता है; यदि टूटा-फटा है तो इसकी मरम्मत की जाती है; यदि कमजोर हो जाता है तो, इसे पुनः सशक्त बनाया जाता है, और अलग-अलग हुए पेपरों को यथोचित रूप से जिल्दबद्ध किया जाता है; मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि वैज्ञानिक तरीकों से भारतीय रिज़र्व बैंक की धरोहर की भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यहां एकत्र हुए हम सभी यह गहराई से महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं कि क्या चल रहा है इसे समझने और इसकी व्याख्या करने के लिए ज्ञान अनिवार्य है। इस बात पर भी उत्तरोत्तर समझ बढ़ रही है कि अन्य बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों की तरह सूचना का अधिकार भी हमारा बुनियादी अधिकार है। ज्ञान का मुख्य घटक सूचना या जानकारी होने के नाते, हम प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी साधन के माध्यम से सूचना के संरक्षण में सावधानीपूर्वक निष्ठावान हैं। इस प्रकार अपनी अभिलेखों की धरोहर के संरक्षण के लिए हमें अभिलेखागार की विषय वस्तुएं और सूचनाएं या तो माइक्रो फिल्म बनाकर या डिजिटल साधनों द्वारा सुरक्षित रखनी होंगी। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारिबैंक अभिलेखागार ने आपात प्रबंधन कार्यक्रम के रूप में अपने रिकार्डों की माइक्रो फिल्म बनाने तथा उनकी स्क्रीनिंग करने तथा इलैक्ट्रोनिक दस्तावेज भंडारण और तत्काल पैठ के लिए प्रणाली में पुनः प्राप्ति के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है।

सूचना प्रौद्योगिकी में होनेवाली तीव्र गतिविधियों के बावजूद, फाइलों और रिकार्डों में सूचना के निर्माण की प्रक्रिया में लोगों की बुनियादी भागीदारी की संभावना को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। रिकार्ड प्रबंधन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने केंदीय कार्यालय के सभी विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में रिकार्ड रूप स्थापित किए हैं। इन रिकार्ड कक्षों में नियोजित कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे रिकार्ड को उचित रूप से रखने में समर्थ बन सकें। हमें यह समझना चाहिए कि रिकार्ड प्रबंधन की बेतरतीब गतिविधियां ऐसी फाइलों की सूचनागत विषयवस्तु की हानि/गुम होने, निकल जाने या कम हो जाने का कारण बन सकती हैं जो आगे चलकर रिजर्व बैंक के हितों के प्रतिकूल सिद्ध हो सकती हैं। स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक नेटवर्क से घिरे हम रिकार्ड प्रबंध गतिविधियों, जो सभी सूचना प्रणालियों की बुनियादी संपोषक है, की उपेक्षा नहीं कर सकते ।

मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार रिज़र्व बैंक को गैर-चालू रिकार्डों का पता लगाने और उनकी समीक्षा करने में व्यावसायिक विशेषज्ञता उपलब्ध कराकर रिकार्डों के प्रबंधन को दुरुस्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी रिकार्ड प्रबंध कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी स्तरों पर सहभागिता और प्रयास किए जाने की जरूरत है। हालांकि पहले से सभी कुछ नया नहीं किया जा सकता फिर भी कोई भी अब से शुरू कर सकता है और एक नए प्रकार की शुरूआत कर सकता है।

सूचना के अधिकार का अधिनियम बन जाने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक में हमने इसका सोत्साह स्वागत किया है। अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह, हम अपने कार्यों में पारदर्शी होने का प्रयास करते हैं और यह बताते हैं कि संप्रेषण हमारे कार्य के लिए अनिवार्य है। तथापि जैसा कि हमारे मुख्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआइओ) इसकी पुष्टि करेंगे, हमारे कुछ विभाग मांगी गई सूचना को पुनः प्राप्त करने में कभी-कभी कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। अतः हमारे पास बेहतर पुनर्प्राप्ति और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए। कंप्यूटरीकरण के साथ-साथ यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। मैं भारिबैंक अभिलेखागार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हमारे प्रशासन से सलाह करके नई गतिविधियों के संदर्भ में हमारी दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया पर नए सिरे से विचार करने के लिए एक समूह की नियुक्ति करें।

व्यावसायिकता की बात करते हुए हम हाल की अवधि में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में की गई अविश्वसनीय प्रगति को अनदेखा नहीं कर सकते। कंप्यूटर ने रिकार्डों के संग्रहण और उनकी पुनः प्राप्ति की परंपरागत अवधारणा ने क्रांति ला दी है। लघ्वीकरण में प्रगामी शोध ने इसे संभव बना दिया है कि रिकार्डों के भारी परिमाण को कुछ कंप्यूटर चिप्स में भारा जा सके जिससे आंकड़ों के भंडारण और पुनर्प्राप्ति को अत्यधिक आसान बना दिया है और रिकार्डों की भारी भरकम अल्मारियां अंततः उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल हो गई हैं। जिस गति से हम नए रिकार्ड बना रहे हैं वह मानवता के इतिहास में अभूतपूर्व है, परंतु सौभाग्य से हमने अपने आप को इस निरंतर बढ़ते हुए रिकार्डों के भंडार को अपने लाभ के लिए संभालने और रखने के योग्य बनाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक में हमें इन कौशलों/दक्षताओं से युक्त बनाना होगा ताकि हम न केवल इन मूल्यवान रिकार्डों को सुरक्षित रख सकें जो हमें हमारे अतीत ने दिए हैं, बल्कि हमारे द्वारा निर्मित असंख्य रिकार्डों का प्रसंस्करण करने तथा उनके व्यवस्थित करने में समर्थ हो सकें। जब मैं व्यावसायिकता या पेशेवर होने की बात कर रहा था तो मेरा तात्पर्य इसी दक्षता से था। जिसे हमारे अभिलेखागारों और सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों को प्राप्त करनी चाहिए, यदि वे भविष्य की मांग के साथ चलना चाहते हैं। कोई भी केंद्रीय बैंक भारी सूचना प्रसंस्करण की मशीन होता है। हमारी वेबसाइट इसकी साक्षी है जैसा कि हमारा केंद्रीय डाटा बेस प्रबंध प्रणाली (सीडीबीएमएस) है। हमारी वेबसाइट पर अपार सूचना भारी पड़ी है जैसा कि किसी अन्य केंद्रीय बैंक की वेबसाइट भरी होती है जिसमें परिपत्र, नीतिगत वक्तव्य, रिपोर्टें, बाजार सूचना, आर्थिक आंकड़े तथा इसी प्रकार की अन्य सूचनाएं भरी हैं। सीडीबीएमएस एक आंकड़ों का भंडार है जो पहले ही जनता को उपलब्ध है। यह वेबसाइट प्रत्येक दिन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है।

प्रतिष्ठित बैंकर, शिक्षाविद, विद्वान और अभिलेखापाल मुझ से सहमत होंगे कि हमारी दस्तावेजी धरोहर पर भौतिक, प्रशासनिक और बौद्धिक नियंत्रण रखना सर्वाधिक चुनौती भरा कार्य है क्योंकि इसके माध्यम विविध प्रकार के हैं जिनमें ये रिकार्ड भरे हुए हैं जिनमें कागज, माइक्रो फिल्म, सीडी, डीवीडी के अलावा मेग्नेटिक टेप, फ्लॉपी आदि शामिल हैं। यह वस्तुतः एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि किसी संगठन के अंदर विभिन्न माध्यमों में संग्रहित सूचना को समेकित, भंडारित और आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त किया जा सके। वर्तमान में आरबीआईए कागज आधारित रिकार्डों को संरक्षित, भंडारित और उस तक पैठ को आसान

बना रहा है, परंतु भविष्य में सभी कंप्यूटर जनित्र रिकार्डों को भी संरक्षित और अभिलेखागार में स्थानांतरित करना होगा। इस संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में इलैक्ट्रोनिक फार्म में निर्मित अत्यंत महत्वपूर्ण सभी रिकार्डों के प्रशासनिक, साक्ष्य के लिए तथा ऐतिहासिक प्रयोजनों हेतु निर्माण, उनके रखरखाव, अंतरण और स्थानांतरण के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं स्थापित करने की इस समय आवश्यकता है।

अभी-अभी मैंने उल्लेख किया था कि किसी सफल अभिलेखागारीय प्रबंध कार्यक्रम के लिए व्यावसायिकता अपरिहार्य हैं, वही बात प्रयोजन मूलक अभिलेखागार के निर्माण, उनके शेल्फ बनाने की प्रणालियों और आयात प्रबंध कार्यक्रमों पर भी लागू होती है। जैसा कि आप जानते हैं, यथोचित रूप से निर्मित अभिलेखागार भवनें ही मौसमों और आग के प्रभावों से राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक रूप से मूल्यवान रिकार्डो की रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार के पास चार बड़े-बड़े आकार के रिकार्ड रूम हैं जिनमें से प्रत्येक का आकार 3800 वर्गफुट का है। ये रिकार्ड एयरकंडीशन कमरों में रखे जाते हैं। यह भवन आग से लड़ने की प्रणाली जैसे धुंआ का पता लगाने, अलार्म से सचेत करने की प्रणाली तथा आग बुझानेवाली प्रणाली से लैस है। रिकार्ड रूप में डिजिटल एक्सेस नियंत्रण प्रणाली लगायी जा रही है ताकि कमरों में कोई अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर पाए। भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार ने कम्पेक्टस शेल्विंग प्रणाली स्थापित की है जो रिकार्डों को धूल से बचाती है और पर्याप्त स्थान बचाने में मदद करती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि रिकार्डों की आयु बढ़ाने के लिए उनके आसपास का परिवेश भी भंडारण की स्थितियों के अनुरूप बनाया गया है।

मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यथोचित विकास के लिए तथा भावी चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार ने वर्ष 2006-2011 के लिए भावी योजना बनाई है।

यद्यपि, भारतीय रिज़र्व बैंक में रिकार्डों के प्रबंधन के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं स्थापित हैं, परंतु हमेशा से एक उचित अभिलेखागार नीति की कमी महसूस की जाती थी। हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने भी रिज़र्व बैंक की स्पष्ट अभिलेखागार नीति होने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस नीति में रिकार्डों के निर्माण और संरक्षण, संरक्षण सारणी, रिकार्डों के रखरखाव, रिकार्डों को छांटने और नष्ट करने तथा उनका आकलन करने और गैर-चालू स्थायी रिकार्डों को आरबीआइए में स्थानांतरित करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली सुदृढ़ रिकार्ड प्रबंधन परंपराएं शामिल होंगी। यह नीति, निस्संदेह, रिज़र्व बैंक में रिकार्ड प्रबंधन की प्रणालियों को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगी।

हमारा अनुभव यह रहा है कि केंद्रीय कार्यालय के कुछ विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में, रिकार्ड प्रबंधन को उचित प्राथमिकता नहीं दी जाती है जिसके परिणामस्वरूप स्थाई रिकार्डों को आरबीआइए को स्थानांतरित नहीं किया जाता है। रिकार्डों की ज्यामितीय वृद्धि जगह की कमी का दबाव बढ़ाती है जिसकी जरूरत उन्हें रखने में होती है साथ ही उन निधियों पर भी दबाव आता है जो उनके उचित रखरखाव के लिए उपलब्ध कराई जा सकती हैं तथा उन सेवा कार्मिकों की संख्या पर भी जो उनके उचित रखरखाव के लिए और प्रसंस्करण के लिए आवश्यक होती है, दबाव आता है। इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआईए अब केंद्रीय कार्यालय के विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों की कस्टडी में रखे हुए गैर चालू रिकार्डों के आकलन या समीक्षा करने की पहल निर्मात्री एजेंसियों की सलाह से करेगा।

हम सभी रिकार्डों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों से परिचित है। रिकार्डों के भौतिक आस्तित्व का गायब हो जाना इस डिजिटल युग का सबसे बड़े षडयंत्रकारी और लुभावने पहलू हैं। अभिलेखापालों तथा रिकार्ड प्रबंधकों की वर्तमान पीढ़ी के सामने यह चुनौतीपूर्ण कार्य है कि वे जब भी आवश्यक हों, इन रिकार्डों को उपलब्ध कराएं। भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार शीघ्र ही अपने पास रखे रिकार्डों को डिजिटल फार्म में विकेंद्रित रूप में अलग-अलग स्थानों पर रखे गए हैं और यह अनुभव किया गया है कि यदि इस दिशा में उचित कदम न उठाए गए तो ये रिकार्ड बैंक की याददास्त से धूमिल पड़ जाएंगे। अतः यह आवश्यक है कि इस दिशा में मार्गदर्शी दिशानिदेश बनाए जाए और उन्हें कठोरता से लागू किया जाए।

मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि रजत जयंती वर्ष में आरबीआइए द्वारा अपनी छबि और उपयोगिता को सुधारने के लिए अनेक पहलें की जा रही हैं। आरबीआइए में एक करेंसी दर्शानेवाली इकाई भी जोड़ी जाएगी। करेंसी डिसप्ले तथा अभिलेखागार प्रदर्शनी को आगंतुकों के लिए खोला जाएगा ताकि जनता देश की आर्थिक और मौद्रिक नीति के निर्माण में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका से परिचित हों । अंतिम परंतु उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि आरबीआईए आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारी तथा प्रतिक्रिया योजना बनाएगा । इसमें छोटी-सी घटना होने पर शीघ्र और दक्षतापूर्वक प्रतिक्रिया करने पर जोर दिया जाना चाहिए। क्योंकि यदि उन्हें रोका नहीं गया तो वे बड़ा और भयावह रूप धारण कर सकती हैं। मुझे विश्वास है कि जब यह योजना तैयार हो जाएगी, तो यह आरबीआइए को आपात स्थितियों से दक्षतापूर्वक और प्रभावी रूप से निपटने के लिए मार्गदर्शी दिशा निदेश प्रदान करेगी।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं रिज़र्व बैंक में रिकार्ड प्रबंधन को दुरूस्त करने में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की तत्काल जरूरत पर जोर देना चाहूंगा। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बन जाने के बाद रिकार्ड प्रबंध प्रणाली पर नजदीकी से ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि प्रणाली को इस प्रकार विकसित किया जा सके कि प्रसारण प्रयोजनों के लिए सूचना समानांतर रूप से भंडारण और उसकी पुनः प्राप्ति की जा सके। मैं एक बार पुनः आरबीआइए और इसके स्टाफ को इसकी रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे भावी चुनौतियों से दक्षतापूर्वक और प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होंगे ।